न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 31/2019 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 18.11.2019
G.C.M.S. NO. :- 2019/00083

मांगीलाल पिता देवा जी कुम्हार उम्र 55 वर्ष, निवासी आकोला खुर्द, तहसील व पंचायत समिति भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–निगराकार

बनाम

1–ग्राम पंचायत करेड़िया जरिए सरपंच, ग्राम पंचायत करेड़िया, पंचायत समिति भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–आंगनवाड़ी केन्द्र ग्राम आकोला खुर्द जरिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत करेड़िया, पंचायत समिति भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–गैर निगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम विरूद्ध पट्टा संख्या 009 दिनांक 15.04.2013 ग्राम पंचायत करेड़िया, पंचायत समिति भदेसर

उपस्थिति : 1–श्री खुमराज कुमावत, अधिवक्ता निगराकार

Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 08.02.2024

निगराकार द्वारा यह निगरानी इस आशय की प्रस्तुत की है अधीनस्थ ग्राम पंचायत करेड़िया, पंचायत समिति भदेसर द्वारा विपक्षी संख्या 2 आंगनवाड़ी केन्द्र आकोला खुर्द के पक्ष मे जारी पट्टा संख्या 009 दिनांक 15.04.2013 न्याय नियम एवं वाक्याति तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा 60 फीट बाई 40 फीट का जहां पट्टा जारी किया वहां निगराकार का 75 गज बाई 50 गज कुल 3750 वर्ग गज का प्लॉट स्थित है। वहां करीब 30 वर्षो से निगराकार का कब्जा होकर उक्त प्लॉट पर करीब 100 ट्रीप रेत 70-80 ट्रेक्टर ट्रॉली पत्थर के खण्डे पडे हैं। पट्टा जारी करने से पूर्व कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया और ना ही मौके पर निरीक्षण किया तथा ना ही आपत्ति नोटिस जारी किया। पट्टा जारी करने से पूर्व निगराकार का कब्जा भी नहीं हटाया और पट्टा जारी कर दिया जो नियमों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत करेड़िया द्वारा विपक्षी संख्या 2 आंगनवाड़ी केन्द्र आकोला खुर्द के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 009 दिनांक 15.04.2013 निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारगण को सूचना पत्र जारी किये गये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से विवादित पट्टे से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। विकास अधिकारी, पंचायत समिति भदेसर ने अपने पत्रांक/पसभ/पंचायत/निगरानी/2020-21/80 दिनांक 02.02.2022 से पट्टे से संबंधित रेकार्ड/पट्टा बही भिजवाई। विपक्षीगण के बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से विपक्षीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अतः बहस प्रकरण अधिवक्ता निगराकार सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिवक्ता निगराकार ने कथन किया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत, करेड़िया ने विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जो पट्टा जारी किया वो अनियमितता पूर्ण कार्यवाही कर जारी करने से निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत, करेड़िया द्वारा विपक्षी संख्या 2 आंगनवाड़ी केन्द्र आकोला खुर्द के पक्ष में 60X40 वर्ग फीट का पट्टा संख्या 009 दिनांक 15.04.2013 जहां का जारी किया है उस जगह निगराकार का 75 गज बाई 50 गज कुलिया 3750 वर्ग गज का प्लॉट स्थित है जिस पर करीब 30 वर्षों से निगराकार का कब्जा होकर 100 ट्रीप रेत तथा 70-80 ट्रैक्टर ट्रॉली पत्थर के खण्डे पडे हैं। उक्त भूमि पर निगराकार का निरन्तर 30 वर्षों से कब्जा होकर आवास निर्माण हेतु उसे अपने कब्जे में ले रखा है तथा उसके चारों ओर बडे-बडे पुराने पेड़ बबूल, खेजड़ा, छाल आदि खडे हैं। अधीनस्थ ग्राम पंचायत करेड़िया द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व मौके की रिपोर्ट नहीं बनाई, नक्शा पास नहीं किया, मौका नहीं देखा तथा निगराकार का पुराना कब्जा होते हुए भी निगराकार को बिना सूचना दिए बिना निगराकार का कब्जा हटाए उक्त पट्टा जारी कर दिया। निगराकार के प्लॉट आवंटन की मिसल सन् 2012 में बन चुकी थी एवं आवश्यक राशि/पट्टा फीस भी निगराकार ने ग्राम पंचायत करेड़िया में जमा करा दी थी किन्तु पूर्व के सचिव की मृत्यु हो जाने से पत्रावली पर आगे कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। उक्त विवादित प्लॉट के पड़ौस उत्तर में छगनलाल पिता हरिराम जी शर्मा का मकान व विमल पिता लक्ष्मीनारायण जी ब्राह्मण का बाड़ा, दक्षिण में भैरूलाल पिता मेघा जी कुम्हार का मकान व मदन शर्मा एवं धनराज कुम्हार का मकान, पूर्व में देवरिया बावजी का स्थान तथा पश्चिम में फतेहपुरा गांव जाने वाली सड़क एवं भैरूलाल कुम्हार की आराजी इन चारों पड़ौसान के मध्य निगराकार का प्लॉट अवस्थित है। पट्टा आवंटन से पूर्व, पूर्व कब्जे के बारे में जांच नहीं की, विधिवत् प्रक्रिया जो अपनाई जानी चाहिए वह नहीं अपनाई गई जिसके अभाव में निगराकार की कब्जेशुदा भूमि पर विपक्षी संख्या 2 को जारी पट्टा निरस्त योग्य है। पट्टा आवंटन की जानकारी निगराकार को नहीं थी प्रथम बार कब्जा हटाने हेतु कहा तब प्रथम बार पुख्ता जानकारी दिनांक 16.10.2019 को हुई। पूर्व समय जानकारी के अभाव में कण्डोन फरमाया जावे

Web Copy - Not Official

इस हेतु दफा 5 प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत करेड़िया द्वारा विपक्षी संख्या 2 आंगनवाड़ी केन्द्र आकोला खुर्द के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 009 दिनांक 15.04.2013 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

हमने अधिवक्ता निगराकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र के मद्देनजर विलम्ब के संबंध में नरमी का रूख अपनाते हुए निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाना न्यायोचित समझते हैं। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद मानी जाती है।

हमने अधिवक्ता निगराकार की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से प्राप्त पट्टा बही क्रमांक 182 एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। अधिवक्ता निगराकार ने, जिस भूमि का पट्टा विपक्षी संख्या 2 आंगनवाड़ी केन्द्र आकोला खुर्द के पक्ष में ग्राम पंचायत करेड़िया द्वारा जारी किया वहां निगराकार का प्लॉट कुलिया 3750 वर्ग गज का होने, उस पर विगत 30 वर्षों से निगराकार का निरन्तर कब्जा होने तथा 100 ट्रीप रेत एवं 70-80 ट्रैक्टर ट्रॉली पत्थर के खण्डे पडे होने का कथन किया है किन्तु अपने कथन की पुष्टि में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उनके उक्त विवादित भूखण्ड पर विगत 30 वर्षों से निरन्तर कब्जा होने तथा 100 ट्रॉली रेत एवं 70-80 ट्रैक्टर ट्रॉली पत्थर के खण्डे पडे होने संबंधी कथन की पुष्टि होती हो।

निगराकार ने उक्त विवादित भूखण्ड के पेटे ग्राम पंचायत में आवश्यक राशि जमा कराने का कथन किया है किन्तु साक्ष्य स्वरूप उक्त राशि जमा कराने की रसीद प्रस्तुत नहीं की है तथा कितनी राशि उनके द्वारा जमा कराई इसका भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। निगराकार ने अपने कब्जेशुदा प्लॉट के पड़ौस उत्तर में

छगनलाल पिता हरिराम जी शर्मा का मकान व विमल पिता लक्ष्मीनारायण जी ब्राह्मण का बाड़ा, दक्षिण में भैरूलाल पिता मेघा जी कुम्हार का मकान व मदन शर्मा एवं धनराज कुम्हार का मकान, पूर्व में देवरिया बावजी का स्थान तथा पश्चिम में फतेहपुरा गांव जाने वाली सड़क एवं भैरूलाल कुम्हार की आराजी इन चारों पड़ौसान के मध्य निगराकार ने अपना प्लॉट अवस्थित होना बताया है जबकि अधीनस्थ ग्राम पंचायत करेड़िया से प्राप्त पट्टा बही क्रमांक 182 से विपक्षी संख्या 2 को जारी पट्टे का अवलोकन करने पर विपक्षी संख्या 2 को जारी पट्टे के पड़ौस उत्तर में सरकारी पड़त भूमि, दक्षिण में सरकारी पड़त भूमि, पूर्व में सरकारी पड़त भूमि तथा पश्चिम में आम रास्ता होना स्पष्ट प्रतिवेदित है। अर्थात् निगराकार के कब्जेशुदा भूखण्ड के पड़ौस एवं विपक्षी संख्या 2 को जारी पट्टा क्रमांक 009 के पड़ौस भिन्न-भिन्न होकर आपस में मेल नहीं खाते हैं।

केवल मात्र निगरानी में ग्राम पंचायत द्वारा अनियमितता के संबंध में किये गये कथन के आधार पर यह पट्टा निरस्त किया जाना उचित नहीं है। साथ ही निगराकार ने अपनी निगरानी में अंकित अन्य तथ्यों को भी प्रमाणित नहीं कराया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है तथा विपक्षी संख्या 2 आंगनवाड़ी केन्द्र आकोला खुर्द के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 009 दिनांक 15.04.2013 यथावत रखा जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(राकेश कुमार)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official